

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

संख्या-2/पी05-20-04/2016गृ0आ0 / सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना के पत्र सं0-4800 दिनांक 01.04.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नलिखित  
पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर/सुबेदार (निरीक्षक सशस्त्र) को बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के  
पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान-पी0बी02+ग्रेड पे 5400/-) की कोटि में आदेश निर्गत की तिथि से  
औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुये नियुक्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वरीयता क्रमांक	पदनाम
1	2	3	4
1	श्री गणपति ठाकुर	563	पुलिस निरीक्षक
2	श्री राज कुमार तिवारी	564	पुलिस निरीक्षक
3	श्री चन्देश्वरी प्रसाद यादव	567	पुलिस निरीक्षक

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1)(ए)(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अपना विकल्प देना होगा।
3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना अलग से निर्गत की जाएगी।
4. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/पी05-20-04/2016गृ0आ0 / पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/पी05-20-04/2016गृ0आ0 १४१५ / पटना, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना ([www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि प्रोन्नत पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

15/12/16

सरकार के उप सचिव